विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय गुरूवार के लिये निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
3 (क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियन्त्रण सिग्नल रेड होने पर चौराहे पर एकाएक दुधमुहे बच्चे को लेकर महिलाये एवं कम उम्र के बच्चों के द्वारा भीख मॉगी जा रही है ?	जी हां, ऐसे कतिपय प्रकरण संज्ञान में आते हैं।
(ख) यदि हॉ, तो इनकी संख्या कुल कितनी है?	इससे संबंधित आंकड़े फिलहाल विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।
(ग) क्या ऐसे निरीह एवं गरीब मैले कुचैले बच्चों एवं महिलाओं को भीख न मॉगना पड़े सरकार द्वारा कोई नीति स्थापित की गई है ?	महिला कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत उक्त प्रकार के बच्चों के लिए 08 राजकीय बाल गृह (बालक) ,05 राजकीय बाल गृह (बालिका) एवं 05 राजकीय बाल गृह (शिशु), 25 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), 02 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी), 02 राजकीय विशेष गृह, 05 राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, 01 राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (किशोर), 04 राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (किशोरी), पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत राजकीय विशेषीकृत गृह (बालक/बालिका/शिशु) तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित 24 बाल गृह (बालक), 32 बाल गृह (बालिका), 42 बाल गृह (शिशु) संचालित हैं। इसी प्रकार विभाग द्वारा 09 राजकीय महिला शरणालय तथा 01 मानसिक मंदित महिला प्रकोष्ठ गृह का संचालन किया जा रहा है, जिसमें उक्त प्रकार की महिलाओं हेतु भोजन शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की नि:शुल्क समुचित व्यवस्था उपलब्ध है ।
(घ) यदि हॉ, तो क्या ?	उपरोक्तानुसार ।
(ड.) यदि नहीं, तो इस तरह की निराश्रित महिलाओं एवं अबोध बच्चों के प्रति कल्याणकारी योजना बनाने पर विचार करेंगे ?	उपरोक्तानुसार ।

बेबी रानी मौर्य

मंत्री